2017/00137

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 26/2017

अपीलांट

अमेदाराम पुत्र भगाराम उचित मूल्य दुकानदार खारडा भारतसिंह तहसील गिड़ा

बनाम

रेस्पोडेंट

राजस्थान सरकार जरिये, जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रसद अपील अंतर्गत खण्ड 22(A) राजस्थान खाधान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.05.2017 बमुकदमा विभागीय प्रकरण संख्या 26/17 द्वारा जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

उपस्थितः–1. श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री जीयाराम प्रवर्तन निरीक्षण रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13.12.2017

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट अमेदाराम उचित मूल्य दुकान खारडा भारतसिंह का डीलर नियुक्त है। अमेदाराम डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान के रिकॉर्ड एंव पॉश मशीन से वितरित मात्रा में अन्तर पाये जाने,केरोसीन मात्रा की स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं करने,भौतिक सत्यापन में गेहूँ व केरोसीन कम पाये जाने एंव चीनी अधिक पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर ने अपीलांट–अमेदाराम के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 26/17 दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया और प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर दी। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत खण्ड 22(A) राजस्थान खाधान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलाट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट उचित मूल्य दुकान खारडा भारतसिंह का डीलर नियुक्त है। अपीलांट के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर द्वारा दर्ज विभागीय प्रकरण में अपीलांट के नाम जारी नोटिस दिनांक 22.05.2017 को प्राप्त हुआ जबकि निर्णय दिनांक 10.05.2017 को

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पारित किया गया। इस कार्यवाही से यह स्थापित है कि अपीलांट को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होने तर्क दिया कि उचित मूल्य दुकान खारडा भारतसिंह पर मार्च,2017 के बाद अपीलांट को वितरण हेतु 614 क्विंटल गेहूँ जारी किये गये। जिस पर अपीलांट ने 519.65 क्विंटल गेहूँ वितरण कर दिये थे, शेष स्टॉक में 94.35 क्विंटल होना चाहिये, मगर शेष स्टॉक में 91 क्विंटल पाया गया। जॉच के भौतिक सत्यापन में 4.2 क्विंटल गेहूँ जो कम पाया गया है, वह छिजत एंव अप्रार्थी द्वारा वक्त जॉच गलत तौल के कारण कम पाया गया है। पोश मशीन से भीड़ को एक साथ गेहूँ वितरण करने के बाद दुकानदार द्वारा उसका इन्द्राज वितरण रजिस्टर में किया जाना था परन्तु इस कार्यवाही से पूर्व ही भौतिक सत्यापन टीम द्वारा अचानक जॉच कर वितरण रजिस्टर दस्तावेज जब्त कर दिये। इस कारण वितरण स्टॉक का इन्द्राज वितरण रजिस्टर में नहीं किया जा सका। केरोसीन 1288.5 लीटर कम पाया गया। यह केरोसीन अपीलांट द्वारा केरोसीन वितरण रजिस्टर के अनुसार स्थानीय निवासीयो में वितरण कर दिया था मगर वितरण रजिस्टर का ब्यौरा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने से भूल से रह गया था। इसी तरह जॉच कमेटी दुकान पर अचानक आने से उस समय अपीलांट चीनी का वितरण कर रहा था। जॉच दल अचानक आने से उपस्थित ग्राहको की 3.5 किलोग्राम चीनी पोश मशीन में दर्ज करने के बाद बिना लिये ही ग्राहक मौके से चले गये, जिससे 3.5 किलोग्राम चीनी ज्यादा पाई। अपीलांट ने गेहूँ,केरोसीन एंव चीनी राशन सामग्री का वितरण सही समय पर किया है। अपीलांट ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती है। इसलिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 को निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जाए।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि डीलर अमेदाराम के विरूद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना गिड़ा की प्रस्तुत रिपोर्ट पर गेहूँ परिवहन कर कालाबाजारी करने के सम्बन्ध में प्रकरण दर्ज किया था। जिस पर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। मगर डीलर द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि खाद्य विभाग के आदेशानुसार मार्च 2016 से जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को पोश मशीन आवंटित की गयी थी। मार्च,2016 से अगस्त 2016 तक ऑन लाईन पोश मशीन द्वारा व आफ लाईन रजिस्टरों द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया था। इसके पश्चात् खाद्य विभाग के नये आदेश दिनांक 05.08.2016 द्वारा माह सितम्बर 2016 से सम्पूर्ण राशन सामग्री का पोश मशीन से वितरण किया जाना है। इसी आधार पर पोशी मशीन से राशन वितरण सही होने एंव इसी आधार पर जॉच अनुसार माह अप्रेल 2016 से घटना दिनांक 19.01.2017 तक उचित मूल्य दुकान खारडा भारतसिंह को थोक विक्रेता द्वारा उपलब्ध करवाया गया राशन सामग्री गेहूँ,केरोसीन चीनी तथा

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

पोश मशीन द्वारा किये गये वितरण की जॉच की गयी। दौराने जॉच उचित मूल्य दुकान के भोतिक सत्यापन मे गेहूँ 04.02 क्विंटल एंव केरोसीन 1288.5 लीटर कम पाया गया तथा चीनी 3.5 किलोग्राम स्टाक में अधिक पाई गई। जिसका उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उचित मूल्य के रिकॉर्ड एंव पोश मशीन से वितरित मात्रा में अन्तर पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार खारडा भारतसिंह द्वारा राजस्थान खाधान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरणका विनियमन)आदेश 1976 के विभिन्न खण्डो एंव इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11,14. व 18 का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 10.05.2017 द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, वह सही है। इसलिये अपीलांट की अपील को खारिज किया जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट अमेदाराम पुत्र मगाराम उचित मूल्य दुकान खारडा भारतसिंह का डीलर नियुक्त है। दिनांक 19.01.2017 की जरिये मुखबिर इतला पर थानाधिकारी पुलिस थाना गिड़ा द्वारा सरहद खारडा मालासर स्कूल के पास दौराने नाकाबन्दी पिकअप वाहन संख्या आरजे 39 जीए 1712 मे राशन की 25 बोरीयो में 2528 किलोग्राम गेहूँ मिला। वाहन से बरामद गेहूँ की पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उचित मूल्य दुकान खारडा भारतसिंह द्वारा भरवाना व गेहूँ को कालाबाजारी में बेचने के लिये पिकअप में भरकर ले जाना प्रथम दृष्टया पाया गया। जिस पर जरिये फर्द जब्ती अवैध राशन के गेहूँ मय पिकअप वाहन के मुर्तिब कर जब्त किये गये और इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को दी गई। डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार खारडा भारतसिंह द्वारा अवैध रूप से गेहूँ परिवहन कर कालाबाजारी करने जैसी प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता पाये जाने पर रेस्पोडेंट द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 26/17 दर्ज किया गया। अपीलांट को जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर ने विभागीय प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनाक 08.03.2017 का नोटिस जारी किया गया। मगर अपीलांट उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 24.04.2017 को पुनः पेशी तारीख 10.05.2017 का सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया है। जॉच मे उचित मूल्य दुकान के रिकॉर्ड एंव पोश मशीन से वितरित मात्रा में अन्तर पाया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान खारडा भारतसिंह की दुकान के भौतिक सत्यापन में गेहूँ 4.02 क्विंटल एंव केरोसीन 1288.5 लीटर कम पाया गया तथा चीनी 3.5 किलोग्राम स्टॉक में कम पाई गई। जिसका उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उचित मूल्य दुकान के रिकॉर्ड एंव पोशी मशीन से वितरण मे अन्तर, स्टॉक में अन्तर से साबित है कि पुलिस द्वारा दिनांक 19.01.2017 को

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

की गई कार्रवाई में जब्त गेहूँ अपीलांट के होना स्पष्ट होता है। अतः उचित मूल्य दुकान खारडा भारतसिंह द्वारा राजस्थान खाधान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डो व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11,14 एंव 18 का उल्लंघन पाये जाने से बाद सुनवाई जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.5.2017 पारित किया है, वह सही एंव न्यायोचित है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्रूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 यथावत रखा जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलेक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर